

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,

लखनऊ

पत्रांक: १६६ / R-१/१५-१६

दिनांक: ३१/३/२०१६

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

विषय: चूड़ामनपुरवा सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में।

महोदया,

कुकरैल फारेस्ट रेज में चूड़ामनपुरवा ग्राम में संचालित वृद्धाश्रम के पहुंच मार्ग हेतु प्रस्तावित मार्ग के संरेखण में वन भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में वांछित वृद्धाश्रम के संचालक/निदेशक कुकरैल रिसोर्ट प्रा०लि०, डा० अभिषेक शुक्ला द्वारा वृद्धाश्रम के संचालन का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में डा० अभिषेक शुक्ला प्रबंधक, आस्थ वृद्धाश्रम ने उक्त वृद्धाश्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 31.03.2016 के द्वारा शपथ पत्र उपलब्ध कराया है जिसे संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: मूल शपथ पत्र संलग्न।

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, लखनऊ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,

लखनऊ

पत्रांक: ९६३/८-१/१६

दिनांक: ३१-०३-१६

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवधवन प्रभाग, लखनऊ।

विषय:- चूड़ामनपुरवा सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्र संख्या 1022/टी०डी०/2014-10 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें इंगित की गयी कमियों के सम्बन्ध सूचना निम्नवत् है :-

- प्रस्तावित संरेखण जिस पर मार्ग का निर्माण किया जाना है वह चूड़ामनपुरवा की आंशिक आबादी भाग से निकलते हुये वृद्धाश्रम तक जाता है। इस क्षेत्र की परिमिति में इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। दर्शायी गयी चकरोड ही इस आश्रम को जाता है। जिसमें रिजर्व फारेस्ट की भूमि के पूर्ववत्ती भाग में स्थित मार्ग का विस्तार किया जाना है।
- प्रश्नगत भूमि आरक्षित वन है। अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि एक हेक्टेयर से कम भूमि के लिये समतुल्य भूमि का प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। अतः इस पर नियमानुसार विचार करने का कष्ट करें।
- आपके संज्ञान में लाना समीजीन होगा कि इस मार्ग के प्रस्ताव के गठन हेतु क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि मा० श्री गोमती यादव विधायक, बी०के०टी० द्वारा अनुरोध किया गया है (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) इस मार्ग के निर्माण होने से चूड़ामनपुरवा ग्राम एवं वृद्धाश्रम में आने वाले जन सामान्य को लाभ पहुंचेगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, लखनऊ